श्री बागड़ी : शर्म नहीं आती है । यह बच्चों का सवाल है ..... (व्यवधान)

Mr. Deputy-Speaker: The Member is defying the Chair. I will have to ask him to go out.

श्री बागड़ी : प्रधान मंत्री .. (व्यवधान)

Mr. Deputy-Speaker: If he behaves like this, I will have to take action against him. Shri Brahm Prakash.

15.32 hrs

DELHI ADMINISTRATION BILL— *contd.*

श्री ब्रह्म प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन कर रहा था कि हम ने असेम्बली की बात पर जिद्द न कर के यह तजवीज की कि अगर ऐसा ढांचा हम को दिया जाये जो कि डिमोक्रेटिव हो, जो एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन दे सके, तो हम उस पर अमल करने के लिये और तजुर्बा करने के लिये तैयार हो सकते हैं और असेम्बली की मांग को इल्तवा में डाल सकते हैं । बहुत बात चीत के बाद एक बात तय हुई कि एक मेट्रोपोलिटन कौंसिल चुनी हुई बनाई जाये । लेकिन जब आगे बात चली तो यह तो निश्चित हो गया कि उस के एग्जोक्यूटिव कौंसिलर चुने हुए बनाये जाय लेकिन वह मेट्रोपोलिटन कौंसिल के सामने जवाब देह हों यह तय नहीं हुआ । इस मैट्रोपालिटन कौंसिल को बजट या फाइनैन्शल पावर्स हासिल हों यह बात तय नहीं हुई । यह बातचीत यह कह कर मुल्तवी हो गई कि यह तफसील की बात है और हम इस पर बातचीत करेंगे ।

उस के बाद हम लोग लगातार कोशिशें करते रहे कि होम मिनिस्टर से बातचीत करें लेकिन दुबारा बातचीत करने का मौका नहीं आया । अचानक मैं ने अखबार में पढ़ा कि इधर उधर मैं ने कुछ मान लिया था, कोई कमिटमैंट मैं ने दे दिया था । मुझे यह सुन कर बहुत दुःख और हैरानी हुई । मैं तो तीन चार साल से बातचीत में सामने रहा हूं और तफसीली बातचीत में मैं ने अगुआ हो कर काम किया है । मैं लगातार कहता रहा हूं कि कोई कमिटमेंट नहीं हुआ । कमिटमेन्ट सिर्फ इतना ही था कि हम असेम्बली के अलावा कोई दूसरी सेकेन्ड बेस्ट चीज या सेट अप मानने के लिये तैयार हैं । लेकिन वह बातचीत आधी शुरू हुई और बाद में टूट गई । मेरे पास तमाम खत मौजूद हैं । सबसे पहले जो होम मिनिस्टर की एडवाइजरी कमेटी थी उस में अगस्त सन् 1965 में सवाल उठा । दिल्ली के दूसरे मेम्बरों ने उठाया कि उसमें फाइनेन्शल पावर्स दी जाये । एक चीफ एग्जिक्यूटिव कौंसिलर मुकर्रर होना चाहिये और उस की हाउस के सामने जवाब देही हो । लेकिन बाद में इस का कोई जवाब नहीं दिया गया । वे एडवाइजरी कमेटी के मिनिट्स मंगा कर दे सकते हैं ।

यह बिल इस हाउस में 18 नवम्बर को आया । मैं ने 21 अक्तूबर को एक खत लिखा होम मिनिस्टर को । मैं उस खत के जरूरी भाग को पढ़ कर सुना देता हूं :

> "The other matter which is very important and concerns the various schemes is that a clearer picture of the proposed Metropolitan Council needs to be indicated. The position is still confusing. We made certain observations in the last meeting of the Advisory Committee but no satisfactory answer was given at that time. The minutes of that meeting are not yet before me so that I could judge as to what decisions were recorded. However, I would like to make mention of a few points to avoid any embarrassments afterwards.
>
> "The leader of the majority party in the Metropolitan Council should act as the Leader of the House and should be appointed as the Chief Executive Councillor, who will be the *ex-officio* Vice-Chairman of the Council. He will preside over the meetings in the absence of the Lt.

[श्री ब्रह्म प्रकाश]

Governor. The other Councillors should be appointed on his advice

The second important point pertains to financial powers The Metropolitan Council should have its own Consolidated Fund and should have the power to pass its budget."

यह खत मैंने 21 अक्तूबर को लिखा था। अगर कोई कमिटमेंट था तो वह कहां था या किस की तरफ से हुआ था। इसके बाद मैंने लागातार होम मिनिस्टर साहब को टेलीफोन किया कि मैं उन से इस मामले में आकर बातचीत करना हूं लेकिन मुझे उन्होंने एक दिन भी वक्त नहीं दिया। मेरे खत तक को एकनालेज नहीं किया। उसके बाद मैं ने बिल पेश होने से दो दिन पहले 16 नवम्बर को उन को लिखा कि अगर बिल आएगा तो डिफिकल्टी होगी, इस लिये मेहरबानी कर के उसे पेश न किया जाये। उस के बारे में बातचीत की गई लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। मेरे पास डाकुमेन्ट्स हैं, जो इस को साबित करते हैं।

यह इल्जाम लगाना मेरे पर या किसी के ऊपर, या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊपर कि हम ने कमिटमेंन्ट किया था, यह सरासर ज्यादती है और होम मिनिस्टर के स्टेटस के आदमी से हम यह उम्मीद नहीं करते थे कि वह इस तरह से कहेंगे। मैं मानता हूं कि उन की अवाज बड़ी है, मैं यह भी जानता हूं कि उन की अवाज अखबारों में पहुंच सकती है, मैं यह भी मानता हूं कि अगर वह कुछ कहे तो बहुत से लोग उनके साथ मिल कर उन की अवाज में हां में हां मिला सकते हैं। अगर कोई कमिटमेंट किया गया है तो वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली की बैक पर किया गया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर किसी ने अलग अलग जा कर कमिटमेंन्ट किया है खास लालच से किया है। दिल्ली की तरफ से कोई कमिटमेंट करने का उनको अधिकार नहीं था और बाद में उन्होंने हम पर यह इल्जाम लगा दिया कि हम ने कमिटमेंट किया है। हम तो कहते हैं कि इस बिल को मुल्तवी किया जाय और इसमें फाइनैन्शल पावर रखने की बात की जाय। अगर जरूरत पड़े तो आप इसके लिए कांस्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। होम मिनिस्टर फाइनेन्शल पावर्स देने के खिलाफ नहीं हैं और कहते हैं कि मैं दिल्ली को एक डिमाक्राटिक सेट अप देना चाहता हूं। मगर हमको इसका यह जवाब दिया जाता है कि आप ने कमिटमेंट किया है। यह ऐसा इल्जाम है जिस को हम कभी भी वर्दाश्त नहीं करेंगे हम दिल्ली के चुने हुए नुमाइन्दों में से कुछ को लालच दे कर लोभ दे कर मिला लिया गया और बहला दिया गया कि हम ने कमिटमेंट किया हैं। हमें इस बात पर बड़ा अफसोस है।

जो लोग कहते हैं कि हम ने कमिटमेंन्ट किया, उन में से चार पांच आदमी वह हैं जो उन मीटिंगों में होम मिनिस्टर साहब के सामने हाजिर भी नहीं होते थे। सुभद्रा जोशी तो एक मीटिंग में हाजिर थीं दूसरे दो मेम्बर किसी मीटिंग में हाजिर होते थे किसी में नहीं होते थे। इस मामले को किसी ने भी स्टेडी नहीं किया है। होम मिनिस्टर श्री नन्दा ने भी शायद स्टेडी नहीं किया। अगर किया है तो मैं ने और सेक्रटरी साहब ने किया है। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस बिल के बारे में हमारे साथ सरासर धोखा किया गया है। जब भी कमिटमेंट की बात कही जाती है पब्लिक के अन्दर तो उस की सख्त प्रोटस्ट होती है। और इस को मैं सख्ती से रिजैक्ट करता हूं।

दूसरी बात कही जाती है फाइनैन्शल पावर्स को होम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं फाइनैन्शल पावर देने के लिये तैयार हूं अगर यह कहा जाता है कि कांस्टियूशन आगे आता है और हम नहीं दे सकते हैं तो 245 आर्टिकल के मातहत हम यह फाइनैन्शल पावंस दे सकते हैं। आर्टिकल 245 और 246 (4) के अन्दर फाइनैन्शल पावर्स दी जा सकती हैं। इस के लिये आप स्टडी कर के देख ले और मालूम कर लें। अगर नहीं दी जा सकती हैं तो आप को क्या दिक्कत

है। आप इतनी बार कांस्टिट्यूशन अमेंड कर चुके हैं, क्या इस बिल के लिये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली की जो पब्लिक ओपियन है, दिल्ली के जो लोग हैं, वह इस बात को चाहते हैं कि हमारे लिये कोई डिमाक्रेटिक सेट अप मिले। वह असेम्बली के लिये जिद्द नहीं करना चाहते, लेकिन कोई डिमाक्रटिव सेट अप चाहते हैं, वह कोई दिल्ली के लोगों के लिये रिस्पांसिबल बाडी चाहते हैं। वह ऐडवाइजरी बाडी नहीं चाहते, कोई ग्लोरिफाइड क्लर्क नहीं चाहते हैं। अगर इन चालिस आदमियों को हम सिर्फ ऐडवाइजरी शक्ल में रखते हैं तो कौन जिम्मेदार आदमी ऐडवाइजर बन कर जायेगा। 245 और 246 (4) में कहा है कि :

Article 245 (1) reads thus:

> 'Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State."

Then, article 246 (4) says:

> "Parliament has power to make laws with respect to any matter for any part of the territory of India not included in a State notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the State List."

Financial power means any power. Financial power is part of it.

Shri Hathi: The phrase is 'Parliament may by law make'.

Shri Brahm Prakash: In this very Bill those powers can be given. The hon. Minister can accept the amendments tabled by my hon. friend Shri Shiv Charan Gupta to that effect. Those amendments can be accepted, and financial powers can be given to that body.

The Bade: We also agree with the hon. Member that the powers can be given.

श्री ब्रह्म प्रकाश : जब वह कहते हैं कि एनी पावर दे सकते हैं तो फाइनेंशियल पावर इज एपार्ट आफ दैट। तो जनाब आला, यह मैं ने कांस्टीट्यूशन के बारे में अर्ज किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन्टरिम कौंसिल आप इसमें लाये हैं। चन्द महीनों के लिए आप इंटरिम कौंसिल लाना चाहते हैं और 40 आदमी एलेक्ट कराना चाहते हैं 90 लोगों से और वह भी चन्द महीनों के लिए दिल्ली के सैट-अप के दो हिस्से हैं, एक मेट्रोपोलिटन कौंसिल और एक कारपोरेशन मेयर-इन-कौंसिल। मेयर-इन कौंसिल का बिल आज तक हाउस के सामने नहीं आया। एक अजीब बात है कि इतनी अनडयू हेस्ट है इसके अन्दर कि कांस्टीट्यूशन का जो रीआर्गेनाइजेशन का था वह बिल भी थपले में चला गया लेकिन डेलही का मेट्रोपोलिटन बिल डेलही के लोगों की बेइज्जती करने के लिए जरूर लाया जायगा चाहे कुछ भी क्यों न हो। यह गवर्नमेंट की जिद है। सेकेंड्री एजूकेशन बिल पड़ा है। वह हाउस में नहीं आया। डेलही हाईकोर्ट बिल को प्रायरिटी नहीं मिली, लेकिन डेलही मेट्रोपोलिटन बिल जरूर आ गया चूंकि जिद है, चूंकि सजा देनी है, चूंकि पंजाबी रीआर्गेनाइजेशन की मदद हमने की थी, इसलिए हमें सजा देनी है—कि यह बिल हम पर लागू किया जाय, जनाबआला मैं यहां यह कहना चाहता हूं, मुझे पता नहीं, ... मैं इस हाउस में फिर आऊंगा या नहीं, इसका तो मुझे अभी बाद में तय करना है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं गवर्नमेंट आफ इण्डिया, होम मिनिस्ट्री, खास तौर से, आज डिवाइड एण्ड रूल की कोशिश कर रही है। आज डेलही की पब्लिक के अन्दर, डेलही की कांग्रेस के अन्दर और डेलही के लोगों के अन्दर डिवाइड करके रूल करना चाहती है जो कि एक फारेन गवर्नमेंट किया करती थी। अपनी गवर्नमेंट कभी ऐसा करती है। मुझे दुख है इस बात का और मैं कहता हूं कि जो होम मिनिस्ट्री का रवैया दिल्ली वालों के साथ और खास तौर से दो एक और मिनिस्टरों का वह निहायत बेइज्जती का है। मैं समझता हूं दिल्ली वाले इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं एक

[श्री ब्रह्म प्रकाश]

बात और कह देना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिलेंगे, दिल्ली के लोगों को खुद अपने फैसले करने का हक नहीं होगा दिल्ली के लोगों को खुद अपनी किस्मत बनाने का हक नही होगा वह अपने हकूक के लिए लगातार जद्दोजहद करते रहेंगे।

Mr. Deputy-Speaker: Now, Shri Bade. He may take not more than 10 minutes

An Hon. Member: Time may be extended.

Shri Hari Vishnu Kamath: You should extend the time for this Bill. The time saved on the Constitution (Nineteenth) Amendment Bill may be appropriated for this Bill.

श्री बड़े : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेलही एडमिनिस्ट्रेशन बिल की सेलेक्ट कमेटी का मैं मेम्बर था और मैंने अपना डिसेंटिंग नोट दिया है। लेकिन मुझे एक कथा याद आती है कि एक दफा एक बच्चा बहुत रो रहा था और कह रहा था कि मैं चांद लूंगा। चांद कोई उसको दे नहीं रहा था और न दे सकता था। तो उस गांव में एक बड़े होशियार आदमी थे। वह आये और उन्होंने उस बच्चे के हाथ में एक आइना दे दिया और कहा कि लो, यह चांद तुम्हारे हाथ में आ गया। इसी प्रकार से हमारे होम मिनिस्टर साहब ने किया है। यहां के जितने कांग्रेसी सदस्य जैसे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी और बाकी सब जो हैं वह रो रहे थे कि हमें कुछ अधिकार चाहिये तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यह लो डेल्ही एडमिनिस्ट्रेशन बिल। इस प्रकार आइना देकर चांद उनके हाथ में दे दिया कि यह लो, यह चांद तुम्हारे हाथ में आ गया। और फिर यह कांग्रेस व ले कैसे मुर्गी को दाने डालकर लड़ाते हैं यह दृश्य आपके सामने आया। जो कांग्रेस के बड़े कट्टर सदस्य थे, जो कि चीफ मिनिस्टर थे भूतपूर्व, और बड़े कर्मठ सदस्य हैं, आज वह किस तरह से हमला कर रहे हैं कांग्रेस पर और होम मिनिस्टर पर कि वह बोलते बोलते टेबिल पर भी जोर जोर से हाथ से आवाज करने लग गए जब उनको जोश आ गया। शायद वह समझ गये होंगे कि अपोजीशन के अधिकारों पर भी जब कुठाराघात होता है तो उनको किस प्रकार से जोश और गुस्सा आता होगा। नाउ दि शू इज़ पिंचिग हिम।

मैं यह कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह डेलही ऐडमिनिस्ट्रेशन मेट्रोपोलिटन कौंसिल बिल बिलकुल यूज़लेस बिल है। डेमोक्रेसी की धज्जियां इसमें उड़ाई गई हैं। इसमें क्या कह रह हैं, आप देखें, सेक्शन 22 में यह लिखा है :

> "Subject to the provisions of this Act, the Metropolitan Council shall have the right to discuss and make recommendations with respect to the following matters in so far as they relate to Delhi'.

वह अपनी राय दे सकती है, लेकिन डिसीशन नहीं ले सकती हैं। एग्जीक्यूटिव कौंसिल उनकी राय को मानेगी या नहीं यह एक समस्या की बात रहेगी। यानी मेट्रोपोलिटन कौंसिल को अपना समय इसमें व्यतीत करना है। समय देने के बाद डिस्कस करना है और अपने सुझाव एग्जीक्यूटिव कौंसिल को भेजना है और एग्जीक्यूटिव कौंसिल माने नौकरशाही। पहले औलियाशाही, नादिरशाही निजामशाही और क्या क्या थे, अब नौकरशाही एक और आ गई। यह नौकर शाही ऐसी है, जिसने इसका कटु कटु अनुभव कभी किया है, वह जानता है कि जो इसके पचड़े में पड़ गया उसका भला कभी होता नहीं। यह जो एग्जीक्यूटिव कौंसिल है इसमें तीन मेम्बर होंगे जिनको प्रेसीडेंट नामिनेट करेंगे और उसके हाथ में ही, एग्जीक्यूटिव कौंसिल को ही ऐडमिनिस्ट्रेटिव एथारिटी है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल में एक भी मेम्बर ऐसा नहीं रखा है जो मेट्रोपोलिटन कौंसिल के प्रति रेस्पांसिबिल हो। एग्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर मेट्रोपोलिटन कौंसिल का कुछ कन्ट्रोल, रखते तो भी मैं समझता कि दिल्ली वालों को खिलोना नहीं कुछ और दिया

है। आज इतने साल से दिल्ली के लोग और दिल्ली की जनता चिल्ला रही है कि हमको कुछ मिलना चाहिये, डेमोक्रेटिक राइट्स हमको मिलने चाहिए। लेकिन आपने दिया क्या है कि चुनकर आना, एक जगह इकटठा होना और केवल वहां जो एक बजट आयेगा उस पर डिस्कस करना और रेजूल्यूशन करना ! बट दे आर नाट फाइनल। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : राज्य सभा में क्या है ? यही तो राज्य सभा में है।

श्री बड़े : राज्य सभा को अपर हाउस और परलोक कहते हैं। तो परलोक भेजना है तो भेजिए। यह है लोक सभा और वह है परलोक सभा। परलोक भेजना है तो भले ही भेजिए। पर यह मैं कहता हूं कि यह प्रजातन्त्र की हंसी है, यह रिडिकिलिंग दि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक राइट्स में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव रखा था कि फाइनेंशियल राइट्स होने चाहिएं, बजट पर कन्ट्रोल होना चाहिए। आप कहते हैं कि उसके लिए कांस्टीट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। कांस्टीट्यूशन में 18 अमेंडमेंट्स आप कर चुके हैं और उन्नीसवां अमेंडमेंट आज लाये थे। तो कांस्टीट्यूशन तो आपके हाथ का मैल है। आप उसको जब चाहे बदल सकते हो। लेकिन जब मन में नहीं होगा तो कहेंगे कि कांस्टीट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, जब तक कांस्टीट्यूशन अमेंड नहीं होगा तब तक फाइनेंशियल राइट्स कैसे दिये जा सकते हैं। जब म्युनिसिपल कारपोरेशन को बजटरी पावर्स हैं और वह बजट डिस्कस कर सकते हैं, उन को पूरा अधिकार है अपने बजट पर तो क्यों नहीं मेट्रोपोलीटन कौंसिल को अधिकार होने चाहिए ? आप सेलेक्ट कमेटी में इस शंका का कोई निरसन कर नहीं सके। मैं अभी तक यही समझता हूं कि फाइनेंशियल पावर्स अगर नहीं दिये तो कुछ भी नहीं दिया है और रजोल्यूशंस फाइनल नहीं होते तो उनका भी कोई अर्थ नहीं है। साथ में जब कांस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट लाये थे तो एक्सपर्ट ने यह कहा था कि कांस्टीट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा और हम और कांग्रेस के सदस्य यह मांग कर रहे थे कि कम से कम फाइनेंशियल पावर उन को दें। फाइनेंशियल पावर्स देंगे, और बजेटरी राइट्स देंगे तो हमारा काम हो जायगा, लेकिन वह बात हुई नहीं।

उसके साथ साथ में मल्टीप्लीसिटी आफ एथारिटी होती है। म्युनिसिपल कमेटी है, कारपोरेशन है, वह भी रहेगा और साथ साथ में मेट्रोपोलिटन कौंसिल और आ गई। यानी दो मियां के बीच में मुर्गी हलाल होती है। तो कारपोरेशन और मेट्रोपोलिटन कौंसिल के बीच में दिल्ली हलाल हो जायगी क्योंकि इनका कोई समन्वय नहीं हुआ। इसके साथ साथ में डेलही मिल्क स्कीम है, डेवलपमेंट आफ डेलही की एक संस्था है उन पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। ब्रह्म प्रकाश जी कहते हैं कि यहां लेजिस्लेटिव असेम्बली होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि दुनिया में जहां जहां कैपिटल है वहां लेजिस्लेटिव असेम्बली नहीं है। हमारे मित्र ब्रह्म प्रकाश जी बैठे हैं, वह दुनिया में एक भी जगह बता दें कि जहां कैपिटल है वहां लेजिस्लेटिव असेम्बली है। ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन अपने यहां इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेम्बली तो नहीं लेकिन लेजिस्लेटिव असेम्बली के बराबर कोई चीज होनी चाहिए जिसमें फाइनेंशियल पावर्स हों और उन पर पूरा कंट्रोल उसका होना चाहिए।

श्री ब्रह्म प्रकाश : कैनाडा में, वेस्ट जर्मनी में और साउथ अफरीका में तीनों जगह मौजूद है।

श्री बड़े : मैं यह इसलिए कहता हूं कि वाशिंगटन में नहीं है, और इंग्लैंड में काउंटी कौंसिल्स हैं, वहां भी नहीं है और आस्ट्रेलिया में नहीं है। कैनाडा का मुझे मालूम नहीं। लेकिन उसके अनुसार आपको इसमें फिर अमेंडमेंट देना था कि कैनाडा में इस तरह से है और यहां भी ऐसे होना चाहिए।

[श्री बड़े]

इसके अलावा कमेटी ने भाषा के बारे में जो उसका 24वां सेक्शन होता था उसे ही गायब कर दिया है और मेट्रोपोलिटन कौंसिल पर अपनी भाषा निर्धारित करने का काम छोड़ दिया है । मेरा ख़याल है कि धारा सम्बन्धी क्लाज़ 24 को सैलेक्ट कमेटी ने गायब करके उचित काम नहीं किया है क्योंकि वहां पर फिर इस चीज़ को लेकर वादविवाद खड़े होंगे और झगड़ेबाजी होगी । जब हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है कि भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिन्दी होगी तो बिना किसी संकोच के उसे रख देना चाहिए था और इस तरह से इस मामले को अनिश्चित और विवाद का विषय बना कर नहीं छोड़ना चाहिए था ।

मेरा यह भी निवेदन है कि अगर यहां दिल्ली की विशेष स्थिति में आप दिल्ली वासियों को एक लेजिस्लेटिव असेम्बली नहीं देना चाहते हैं तो इस को पावर्स देनी चाहिए और फाइनेंशियल पावर्स से वैस्ट करना चाहिए । इस मेट्रोपोलिटन कौंसिल को एक जिम्मेदार संस्था होना चाहिए । अगर लेजिस्लेटिव असेम्बली आप दिल्ली वालों को नहीं देते हैं तो इस कौंसिल को तो ताकत दीजिये ताकि वह जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों को निभा सके ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने एक संशोधन दिया है कि अगर दो तिहाई वोट्स मेट्रोपोलिटन कौंसिल में किसी एग्जीक्यूटिव कौंसिलर के खिलाफ हो जाएं तो उसको हट जाना चाहिए मैं इसका समर्थन करता हूं । **एग्जीक्यूटिव कौंसिलर शुड बी रिसपौंसिबिल टू दी मेट्रोपोलिटन कौंसिल** ।

जहां तक सीट्स का सवाल है मेरे ख़याल में उसकी तादाद 56 होनी चाहिए । जब मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन के 100 मेम्बर हो जायेंगे तो उसके अनुसार 50 सीट्स कारपोरेशन की हो जायेंगी, 6 सीट्स बाकी रहेंगी तो 6 सीटों का एलैक्शन हो जायेगा । उसमें ऐसा लिखा हुआ है :—

> "In my view, it should be 56. If the number of elected members is kept at 49, then out of these 49 members, 43 would be from the Corporation area. If the Corporation and Metropolitan Council elections are going to be held simultaneously, then the number of the Corporation Wards would have to be either 86 or 129. But according to the Delhi Municipal Corporation Act, a Ward for the purpose of Corporation election, shall be of not more than 20,000 population....".

इसलिए मैं चाहूंगा कि बजाय 49 के उनकी तादाद 56 होनी चाहिये ।

मेरा विचार है कि जिन 4, 5 मैम्बर्स ने अपने त्यागपत्र दिये हैं अगर वह त्याग पत्र देने के बजाय डिसैंटिंग नोट देते तो सब को मालूम पड़ता और देश की जनता के सामने आता कि उनके इस बारे में क्या विचार हैं । इस्तीफा देने से शासन के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि होम मिनिस्टर और गवर्नमेंट के मन में एक ऐसी बात थी कि इसे करना है इसलिए उसे उन्होंने रख दिया । उस में जो दो मिनिस्टर्स थे वह इंटरैस्टेड थे क्योंकि अब दिल्ली के लिए पार्लियामेंट में बजाय 5 सीटों के 7 सीटें हो गयी हैं और इसलिए वह खुश होते होंगे कि सम्भवतः 7 कांग्रेसी उन पर चुन कर आयेंगे इसलिये उन्होने इस मेजर को सपोर्ट किया । खन्ना साहब किस प्रकार से उसको सपोर्ट करते हैं जब कि इस मैट्रोपोलिटन कौंसिल को फाइनैंशियल पावर्स नहीं हैं ? मैं इस बिना पर इस बिल को अपोज़ करता हूं ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन बिल के ऊपर जोकि सदन के सामने पेश है बातचीत हो रही है । मुझ को यह सुन कर ताज्जुब हुआ जब आनरेबुल मैम्बर श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि वह नहीं समझतीं कि मैं दिल्ली में असेम्बली के खिलाफ क्यों हूं । वह यह भी नहीं समझीं कि इस बिल में क्या चीज है जिससे मैं एक इनैमर्ड फील

करती हूं । मैं इस बारे में सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि यह उनका उतना ही भ्रम है जैसी कि गलती उन को लगी कि दिल्ली के पार्लियामैन्ट के सदस्यों में मैं भी हूं पर मैं दिल्ली से पार्लियामेंट की सदस्य नहीं हूं पर दुर्भाग्य मेरा यही है कि उन की तरह कुछ और लोग भी जब अपना मतलब समझते हैं तो मुझको दिल्ली का सदस्य समझ लेते हैं और जब मतलब नहीं रहता तो मुझको बाहर का सदस्य समझ लेते हैं । इसके लिए मैंने उनको हमेशा धन्यवाद दिया और मैं सफाई से कहना चाहती हूं कि मैं दिल्ली में असैम्बल के खिलाफ नहीं हूं । हमेशा मैंने इस स्टैंड को सपोर्ट किया है आज भी करती हूं और हमेशा करती रहूंगी, कौन नहीं चाहता कि जनता को अधिकार मिलें ? अब क्या श्रीमती रेणु चक्रवर्ती या कम्युनिस्ट पार्टी मुझको सिखायेंगे कि उसूलों के लिए हम को लड़ना चाहिए ? आज मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती की पार्टी का जिक्र नहीं करना चाहती लेकिन वाक्या यह है कि ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं त्यों त्यों उनकी पार्टी उसूलों को ताक में रख कर दूसरे दलों से चुनाव के लिये समझौते कर रही है उनकी पार्टी बिना उसूलों के समझौते हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक कर रही है।

Shri Nambiar : What has that to do with this ?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उनकी पार्टी का बिहार में समझौता जनता पार्टी से हो रहा है । उत्तर प्रदेश में उन का समझौता जनसंघ से हो रहा है, आंध्र में उन का समझौता स्वतंत्र पार्टी से हो रहा है और पंजाब में जहां उनका समझौता पहले भी अकाली पार्टी से हुआ था फिर भी अकाली पार्टी से हो रहा है फिर उन से मैं क्या उसूल की बात सुनूं ?

इतना ही नहीं मैं दिल्ली की बात करती हूं । बड़े मास मूवमेंट का उन्होंने जिक्र किया । जनता कितनी उनके पीछे है उस का जिक्र किया ? किस तरह से दिल्ली की जनता के लिए उन के दिल में प्रेम है और किस तरह से वह उनकी डिमांड के साथ है इस की दुहाई उन्होंने दी ? मैं उन से आदर के साथ पूछना चाहती हूं कि जिस दिन दिल्ली का सेल्स टैक्स बढ़ा तो व्यापारियों के साथ उन्होंने मिल कर और उन की पार्टी ने मिल कर हड़ताल का नारा दिया लेकिन जिस दिन दिल्ली से डालडा गायब हो गया, महंगाई अत्यधिक बढ़ गई, कीमतें बढ़ गईं और जिस दिन दिल्ली में लोग आटे के थैले लेकर घर-घर घूमा किये तो कम्युनिस्ट पार्टी ने दिल्ली बन्द का नारा क्यों नहीं दिया ? आखिर यह कहां का उसूल है ? वह भी जलूस मुझको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब ग्रेटर हरियाना के उसूल पर कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रदर्शन लेकर हमारे सामने आई ? वह रिपब्लिकन पार्टी के जलूस के साथ भी यहां पर आई जिसमें मांग की गई कि लोगों को मकान चाहिये, झुग्गी झोपड़ियां चाहिएं । जहां तक मांगों का सवाल है वह सही है । लेकिन मैं बतला रही थी कि क्या उनके उसूल हैं जिनकी वह दुहाई दे रही हैं ? उस जलूस में 25 एक पार्टी के और 25 दूसरी पार्टी के लोग शामिल थे । ग्रेटर दिल्ली की डिमांड को लेकर संसद् के सामने प्रदर्शन हुआ । मैं नहीं कहती कि दिल्ली की असेम्बली की मांग गलत है लेकिन मैं यह कहती हूं कि आज जब दिल्ली की जनता के नाम पर यहां मांग पेश कर रहे हैं उन के पीछे दिल्ली की जनता कितनी है यह अपने दिल को टटोल कर पूछें ।

अब उपाध्यक्ष महोदय, पावर किस को नहीं चाहिए ? शक्ति कौन नहीं चाहता ? जनता के हाथ पावर आये इस को मंजूर करके पंचों द्वारा पावर्स दे दी गई हैं । वहां भी चुनाव हुआ करे । आज होम मिनिस्टर के ऊपर बड़ा चार्ज लगाया गया । मैं न तो एक्स मिनिस्टर हूं, न वुड बी मिनिस्टर हूं और न ही प्रजैंट मिनिस्टर हूं लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि अगर आज यहां ऐसी बात न होती तो अच्छा था । मुझ को वह दिन याद है जब इस देश के सबसे बड़े नेता ने अपने स्वभाव के खिलाफ आकर, अपनी आदत के

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

खिलाफ़ जाकर जैसे कि कोई एक परसनल दिलचस्पी लेकर दिल्ली में असेम्बली कायम की थी लेकिन वह हमारी करतूतों से कायम नहीं रह सकी । मैं उस वक्त भी दिल्ली में थी और काम करती थी, आज भी दिल्ली में रहती हूं और हमेशा रही हूं कभी अच्छी जगह रही कभी छोटी जगह रही और कभी बड़ी जगह रही लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम अपने कारनामों से और करतूतों से जिस उसूल की बिना पर हम को दिल्ली की जनता को एक चीज़ मिली थी उसको हमने तोड़ दिया । जब चुनाव आये तो दिल्ली की जनता ने कहा कि असेम्बली कहां गई ? हमने वायदा किया कि हम तुम को फिर लाकर देंगे । हम आज फिर अपने होम मिनिस्टर साहब से असेम्बली मांगते हैं । आज जो बिल हमारे सामने आया है मैं अदब के साथ कहना चाहती हूं कि वैसे उसका दिल्ली की असेम्बली के बिल के साथ मुकाबला नहीं है पर मैं उसका स्वागत इसलिए करती हूं कि वह एक कदम और आगे है. . . .

Shri Nambiar: What is that one step? One more confusion, not more step.

Shri Hathi: I will clear it.

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं अभी बताऊंगी कि उसमें क्या क्या खूबियां हैं लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगी वह एक कदम आगे की ओर है । मैं मानती हूं कि बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारे हाथ में वहां नहीं हैं । उसे समझने के लिये कोई कांस्टीट्यूशनल ऐक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है । हमारे नेता यह समझते हैं और मैं समझती हूं कि किसी हद तक सही समझते हैं कि हम लोगों को दिल्ली के कार्यकर्ताओं को दिल्ली के नेताओं को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ ट्रेनिंग चाहिए जो हम को उनके सुपरविज़न में लेकर हासिल करनी चाहिए ।

15.59 hrs.

[SHRI P. VENKATASUBBAIAH *in the Chair*]

माफ़ करेंगे हमारे हाउसिंग मिनिस्टर, अभी डी० डी० ए० उनके पास आया है न मालूम उसकी क्या शक्ल बनने वाली है और किस तरीक़े से चलने वाला है, मैं कुछ नहीं कह सकती । वह तो देख कर पता चलेगा । लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि डी० डी० ए० में जनता के बहुत से नुमायन्दे रहते हैं । इस सिलसिले में मैं उन अफ़सरों का ज़िक्र नहीं करना चाहती हूं, जो दिल्ली के क्लबों और होटलों में बैठ कर फ़ैसले करना चाहते हैं और करते हैं । मैं तो सिर्फ़ जनता के नुमायन्दों का ज़िक्र करना चाहती हूं, जो समाजवाद का नारा लगाते हैं । दिल्ली में जो ग्रीन बैल्ट बनी, डी० डी० ए० में जनता के नुमायन्दे होते हुए भी कानूनों को तोड़ कर, कानूनों से बच कर, उस ग्रीन बैल्ट में सिनेमा हाउसिज़ बने, शराब की दुकानें बनीं और बड़ी-बड़ी मोटरों की मरम्मत की दुकानें बनीं ।

16 hrs.

इस हाउस के माननीय सदस्यों ने दिल्ली में पच्चीस पैसे में काफ़ी का कप बेचने वाले उस काफ़ी हाउस को देखा होगा, जिसने पहली दफ़ा यहां के ट्रेडर्ज़ और बिज़िनेसमैन को चैलेंज किया कि आप दो रुपये में काफ़ी बेचते हो, लेकिन हम पच्चीस पैसे में काफ़ी बेच कर भी कमा सकते हैं । उस काफ़ी हाउस के लिए डी० डी० ए० में जनता के किसी नुमायन्दे की तरफ़ से आवाज़ नहीं उठाई गई ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : भ्रष्टाचार से तो शायद ही कांग्रेस के कोई मिनिस्टर बचे हों । तो फिर उनको क्यों नहीं हटाते ?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : अगर नन्दा जी और हाउसिंग मिनिस्टर, जिन पर दुनिया भर के चार्जिज़ लगाए जा रहे हैं, इस बारे में मदद न करते, तो उस काफ़ी हाउस को तोड़ कर गिरा दिया जाता, जो दिल्ली के दस हज़ार लोगों को केटर कर रहा है और पच्चीस पैसे

में काफ़ी बेच कर भी जिस की पांच हजार रुपये रोज की सेल है, और उन सब लोगों को फिर काफ़ी के लिए दो रुपये खर्च करने पर मजबूर होना पड़ता ।

श्री ब्रह्म प्रकाश : मैं सफ़ाई देना चाहता हूं कि इस बारे में डी० डी० ए० में अकेला मैं उसके हक में था और सारे मेम्बर उसके खिलाफ थे ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं उन अफ़सरों का जिक्र नहीं कर रही हूं, क्योंकि वे जनता के नुमायन्दे नहीं हैं । यहां के सबसे आला अफ़सर भी उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहती हूं । इस सदन के सदस्य यह न समझें कि मैं यह चाहती हूं कि जनता के प्रतिनिधियों को पावर न मिले और वह पावर अफ़सरों के पास रहे । मैं यहां पर अफ़सरों का काज प्लीड करने के लिए नहीं आई हूं । मैं तो उसूल की बात कर रही हूं । जो पावर ली जाती है, वह अच्छे काम करने के लिए ली जाती है ।

मुझे वह बात भी याद है कि काश्मीरी गेट के जो चमार और मोची दो-दो पैसे कमाने के लिए सारे शहर का टूर लगाते हैं, उनको शहर से सात मील दूर भेजा जा रहा था, लेकिन जो बड़े-बड़े कबाड़ी शहर के बीच में बैठे हुए हैं, जब उनको हटाने का सवाल आया, तो जनता के नुमायन्दों ने कहा कि अगर उनको हटाया जायेगा, तो हम सत्याग्रह करेंगे । चूंकि मेरा नाम बहुत दफ़ा लिया गया है, इसलिए मैं इस दर्दनाक इतिहास में गई हूं । इसका मुझे बड़ा अफ़सोस है और मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूं ।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं भी चाहती हूं कि मट्रोपालिटन कौंसिल में इलैक्टिड मैम्बर्ज की तादाद 49 के बजाये 56 कर दी जाये । इस बिल में जो अच्छी बातें रखी गई हैं, डिप्टी होम मिनिस्टर साहब उनको बतायेंगे । एक अच्छी बात यह रखी गई है कि अब तक तो एन० डी० एम० सी० और दूसरी लोकल बाडीज के बजट डिस्कस नहीं हुआ करते थे, वे सारे बजट अब मेट्रोपालिटन कौंसिल में डिस्कस होंगे । यह मैं मानती हूं कि शायद वह कौंसिल फ़ैसला नहीं करेगी । यह भी मैं मानती हूं कि शायद वह सिर्फ़ एक डिबेटिंग सोसायटी हो । लेकिन मैं अर्ज करना चाहती हूं कि कुछ पार्लियामेंट के मेम्बर चाहे बहुत कुछ पावर रखते हों, लेकिन हमारी पावर बोलने की ही होती है । हम यह भी जानते हैं कि अपोजीशन के एक सवाल पूछने से हिन्दुस्तान हिल जाता है, सरकार हिल जाती है । इसलिए उस मैट्रोपालिटन कौंसिल में हम कुछ नहीं कर सकगे, ऐसा नहीं हो सकता है ।

आखिर में मेरी दरख्वास्त यह है कि सरकार इस बात को मान ले कि डी० डी० ए० और दूसरी बाडीज के बजट मैट्रोपालिटन कौंसिल में डिस्कस हुआ करें । जितनी ज्यादा से ज्यादा पावर हो सकती है, वह इस मैट्रोपालिटन कौंसिल को देने की कोशिश की जाये ।

आज दिल्ली में सर्विसिज का बुरा हाल है । दिल्ली में बाहर से—पंजाब से, यू० पी० से—लोग काम करने के लिए आते हैं और जो दिल्ली के नौकरी करने वाले हैं, वे पच्चीसों बरस तक नौकरी करने के बाद भी तरक्की नहीं कर पाते हैं । मेरी तजवीज है कि दिल्ली का एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बने और दिल्ली वालों को भी नौकरी पाने, तरक्की करने और ऊपर जाने का ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाये । थैंक यू ।

Shri Nambiar : I am strongly opposed to this Bill. We have just now seen two hon. Members from Delhi speaking—Mr. Brahm Parkash who was Chief Minister of Delhi State when I came here in 1952, and Shrimati Subhadra Joshi, whom also I have known from 1952.

[Shri Nambiar]

These two hon. Members representing Delhi are speaking in two different tones and opposing each other.

Mr. Brahm Prakash stated categorically here in the very presence of the Minister of State of Home Affairs that Mr. Nanda had a sort of deal with some section of the Congress here and with some section of his own henchmen to decide upon this issue, and that the majority of Congress Members of Delhi are opposed to this move. The same sort of division is bound to happen inside that Council.

Wherefrom have they coined this word Metropolitan Council? So far we have known of States and Union Territories, but this Metropolitan Council is a very imaginary word which they have concocted or found out from the dictionary. They say because it is a metropolitan city, there must be a Metropolitan Council. Bombay is a metropolitan city as also Madras and Calcutta. Why this Metropolitan Council particularly for Delhi? Is it because the Home Minister's rule has to be perpetuated in Delhi, over the heads of the people of Delhi? Therefore, it is a shame that we introduce a newly coined word or a new addition to the so-called statehood. Therefore, this Metropolitan Council is a move to fool the people of Delhi and the people of India.

Today they may talk of a Metropolitan Council for Delhi, tomorrow they may say it must be there for Bombay and Madras, and finally they will say that the State of Kerala, the State of Andhra Pradesh, the State of Bengal, may be a Metropolitan State, and they may say that the President must rule the roost through an Administrator or the Governor, without the people's consent. Therefore, this is the thin end of the wedge of a new era, a new step that they are taking here to undo the democratic tradition that has been built during all these years.

We have seen what happened in Kerala during the last election and immediately after that. Before the Assembly was summoned, when all the hon. Members elected were in jail, it was dissolved. There was no Assembly available, how can they dissolve a thing which is not there? This is the type of democracy that they want to bring in India, and in its footsteps comes the Metropolitan business now. Again, this will go. Therefore, in the larger interests of freedom and democratic tradition that we have built, and in the larger interests of the desire of the people who live in democracy, this abnoxious method and this most derogatory and reactionary step of Metropolitan business must be ended here and now.

Shrimati Subhadra Joshi said just now that when a green belt was coming round Delhi, moneyed people have built this thing and that thing. Moneyed people can build anything anywhere. They did in Bombay, they did in Calcutta. Could you stop it? And here alone in Delhi they want to stop it through the agency of the President and the Administrator, a thing which is happening all over. This is impossible. I would ask Shrimati Subhadra Joshi: Cannot the Administrator and the so-called Executive Council which is going to be nominated by the President be purchased or persuaded to do more harm to the people? Where is the method of stopping it? At least if there is an elected assembly, if there is a council of ministers responsible to the assembly and people, if they misbehave, there is a method of voting them down or correcting them through public opinion. There is no way to correct the executive Council and so the called administrator except by dismissal by the President. But unless and until you create public opinion throughout India and bring pressure through this House and persuade this House to take action against these officers, they cannot be removed. Shrimati Subhadra Joshi says that the bad cases that happened during the previous regime should not be repeated; therefore, they should not be any elected assembly. I do not know whether any bad things happened in 1952 when Mr. Brahm Prakash was Chief Minister; that is none of my business to go into that. It is not only in Delhi that there were mistakes and failures; it is there everywhere under the Congress regime. That cannot be the reason to say that people should not be allowed their democratic set up. If this logic of

Shrimati Joshi is correct, President's rule in Kerala is correct. President's rule everywhere will be correct because there may be misbehaviour by the Assembly and council of ministers. If there is misbehaviour, book them. But that is where they do not do anything. Then all will join together. When we point out to them at such and such things happened under the Congress regime, how the ministers misbehaved, etc., they will pounce on us and say: He is a communist, pro-Peking communist, who is to be put in Cuddalore Central jail for ten months, he should not open his mouth. There, it is a question of dividing the spoils. Democracy means democracy and even if my brother, father or mother has misbehaved, under the democratic system he or she should be punished. Unless that spirit is inculcated here, you cannot have better regime in this country. I want this House· Slowly, bit by bit we are following the path that was followed by many of the Asian-African countries. If we do not stand up for democratic traditions and principles, we would become just like the other States in Asia and Africa where ministers will not be there. They will be suddenly put behind the bars; their heads will be rolling in the corners here and there: in the ditch you can find the bodies of ministers. Such things may happen in this country as well. Let us take a vow, whether it is communist or congress, we must follow the tradition of democratic principles. The metropolitan council should not be there; it is to be nominated by the President. There must be an election, an elected assembly, a council of ministers answerable to the people. If the Centre feels that such an assembly in Delhi will interfere in their day-to-day functions of this Parliament or the minister's head offices, you can create proper safeguards against any intervention. Here I beg to deffer from hon. Mr. Kamath. I read his dissent note: he said that the metropolitan council was necessary because we want to keep a safe position for Delhi so that the Centre's control, etc. may be there. I ask him to reconsider his position.

Shri Hari Vishnu Kamath: I say so with reference to the scope of the Bill.

Shri Nambiar: So, this Bill from that point of view is wrong. Therefore, we must have a democrat set up immediately created in Delhi which will show the path to the whole country. Democracy could thrive only by the leadership of headquarters here. Therefore, I oppose this Bill.

Shri Shiv Charan Gupta (Delhi Sadar): Mr. Chairman, I am tempted to speak on account of two remarks by the hon. Home Minister in his speech while introducing the subject for discusson. He said that article 239(A) comes in the way of giving a legislative assembly. Secondly, he said financial powers cannot be given without amending the Constitution. There is a lot of confusion about the constitutional position on this matter. I would humbly suggest to the hon. Minister that he may kindly not stand on prestige and consider this matter in its correct perspective Article 239(A) provides for administrative arrangement for some of the Union Territories and lays down "Parliament may by law create for any of the Union Territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Dieu and Pondicherry etc." The Name of Delhi and a few other Union territories is not mentioned. Similarly, article 239(1) says: "save as otherwise provided by Parliament by law, every Union Territory shall be administered by the President acting, to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify". Then there is another clause. I shall deal with these two Articles jointly. Previously, article 239(1) began with the words "subject to the other provisions of this part." Now the Article has been amended these words have been substituted by "save as otherwise provided by Parliament by law." Because of this substitution at the beginning of article 239 (1) Parliament was given unfettered powers to create a legislature and specific provision in article 239(A) for Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu and Pondicherry does not restrict Parliament to make law for providing a legislature for the Union Territory of Delhi. Even though it may be contended that the power to make laws under article 245(1) and 246(4) does not confer the power to

[Shri Shiv Charan Gupta]

set up a legislature for the union territory in respect to which power to make laws has been conferred, that argument would not be available in the construction of the words "save as otherwise provided by Parliament by "law" in article 239(1). It is not making laws for the union territory, but it is providing for administration of the union territory. Part VIII is the exclusive part laying down the Constitution of union territories just as we have got part VI to deal with the constitution of the States. In this state of affairs, it will not be illegitimate to argue that though articles 239 to 241 lay down the executive, legislative and judicial structure of the union territory, the above provisions are subject to the overall power of Parliament to make alterations in the provisions contained in part VIII. In this sense, the power conferred upon Parliament by the opening words of article 239(1) need not be unnecessarily restricted to making administrative changes. In short, by virtue of the power conferred by the opening words of article 239(1) also, it is now possible for Parliament to set up a legislature for the union territory of Delhi by an ordinary legislation. It is suggested that article 239(A) indicates a particular arrangement for Union Territories. It is suggested that the provision restricts the power of Parliament. Now, this is a very serious matter, because Parliament draws this power under article 245(1) and 246 and then under article 248 also. Under article 245(1), Parliament has, subject to the provisions of the Constitution, the power to make laws for the whole or any part of the territory of India. Article 245 distributes legislative powers under certain heads exclusively to Parliament and certain other heads exclusively to the State legislatures and certain further heads concurrently to Parliament and the State legislatures. Clause 4 of article 246 provides that Parliament has power to make laws with respect to all matters for any part of the territory of India not included in a State notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the State List.

• •

Thus, in respect of Union territories, which are a part of the territory of India, not included in any State, Parliament has power to make laws with respect to all matters whatsoever. Apart from the above, all residuary powers of legislation are vested in Parliament under article 248 and entry 97 in List I of the Seventh Schedule. The powers of Parliament for legislation in respect of the Union territories are thus absolute and plenary, as plenary as the power of Parliament to legislate in respect of matters mentioned in List I to the Seventh Schedule or items falling under its residuary powers of legislation under article 248.

Now, when we discuss the arguments put forward by the hon. Home Minister, let us examine the position of the Australian Constitution or the Constitution of the United States of America or the Constitution of the British Parliament. Take the British constitution from which we have drawn certain analogies and certain usages and certain practices. Now, if we look at this question, this may be illustrated by a precedent from the Commonwealth of Australia. It has been provided by section 122 of the Commonwealth of Australia Act that the Parliament may make laws for the government of any territory surrendered by any State to and accepted by the Commonwealth or otherwise acquired by the Constitution. The Australian Parliament by section 35 of the Papua and New Guinea Act, 1950, has established a Legislative Council and the legislature itself makes laws under section 48 for peace, order and good government of the territory. The laws are of course subject to disallowance by an administrator or the Governor-General. This would, therefore, show that in any event in Australia the term "to make laws" has been understood to mean a power to erect a subordinate legislature in the territory.

Let us next take the position in the United States of America. Clause 2 of the US Constitution says:

> "The Congress shall have power to dispose of and make all needful Rules and Regulations respecting the territory or other property belonging to the United States; and

> nothing in this Constitution shall be so construed as to Prejudice any claims of the United States, or of any particular State."

By virtue of these undoubted powers, Congress had created local legislatures for Alaska and Hawaii when they were territories but which have not become ful-fledged States and have become part of the United States, but Puerto Rico presumably is still a territory.

Chapter 145 passed by the 64th Congress during the second session provided for a civil government for Puerto Rico, where under section 25 all local legislative powers are conferred on a legislature. By section 37, the Legislative authority provided shall extend to all matters of legislative character, not locally inapplicable, including power to create, consolidate and reorganise the municipalities so far as may be necessary and to provide and repeal laws and ordinances therefor, also the power to alter amend, modify or repeal any or all laws. This power, of course, is subject to the power of disallowance by the President. They are also subject to the annulment by the Congress: because it has been stated that all laws enacted by the legislature or Puerto Rico shall be reported to the Congress of the United States. But in 1952, the United States Congress went very much further.

In India also, under article 245 of the Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India which includes Union territories. Under Article 246(1) and (2), Parliament has power to make laws with respect to matters enumerated in List I and List II, and under clause (4) of article 246, Parliament has power to make laws for any part of the territory of India not included in a State notwithstanding that such a matter is enumerated in the State List. Under article 248, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List. In the words of the American decision, the Indian Parliament has all the dominion and sovereignty—national, federal, municipal and State—so long as it remains a Union territory.

Let us go further. In deciding this question, our Parliament must be assumed to have at least as large power as the United States Congress with respect to Union Territories. This is important—the US Congress has power to make rules and regulations whereas under our Constitution, Parliament has power to make laws and if the US Congress by virtue of its power to make rules and regulations establishes almost a full legislature subject to disallowance by the President or repeal by the Congress, there is no reason why under similar conditions, the Indian Parliament cannot create similar institution in the Union Territory of Delhi.

So, there is no Constitutional bar. I can understand a policy decision of the Government that a legislature should not be provided. I may not agree with it, but to take shelter behind the Constitution is perhaps not correct. I think it is time that this matter should be gone into, because according to the Home Ministry's appraisal of the situation, they limit the power of Parliament to make laws for the whole of the country, including the Union Territories.

I would like to say something about the financial powers. What is the provision in our Constitution in this regard? The procedure in financial matters is dealt with under articles 112 to 117 for the receipts and expenditure of the Government of India and 202 to 207 for the States. Under article 245 and 246(4) Parliament has enacted several laws where financial powers have been given. It may be argued that these powers have been given to the local authorities. May it be so, but there is no provision in the Constitution limiting the power of the Parliament to vest financial powers in a body like the Metropolitan Council as envisaged in the Delhi Administration Bill. No doubt the powers of appropriation can be given only when the legislative powers are given to the Metropolitan Council. I do not see any difficulty in giving such limited powers to this body, but however, if it creates any difficulties in the present scheme of things, there is no difficulty in creating a Fund for the Union Territory of Delhi, transferring the money

[Shri Shiv Charan Gupta]

from the Consolidated Fund of India after appropriation by Parliament and giving powers to the Metropolitan Council to grant estimates of expenditure. In this connection, I have moved certain amendments. Previously also I gave some amendments. But these are modified amendments. They should not be treated in the light manner in which the previous amendments were treated when the Bill came up for discussion earlier. When we insist on these powers, it is not for the pleasure of it, but it is in order to make the Metropolitan Council an effective body to create close relation between the Metropolitan Council and the Executive Council. This relation will create a sense of responsibility in the mind of the Executive Councillors as they will have to look to the Metropolitan Council for sanctioning expenditure. This would not achieve the object of having a responsible Government, but it would partially create a sense of responsibility both among the Executive Council and the Metropolitan Council.

This is important: It would not be out of place to mention here that wherever people have enjoyed democratic form of Government, even if the powers have been misused here and there, the people have always been clamouring for it, because they feel that they can talk on a point of self-respect and prestige with their elected representatives and this feeling is not there when they have to deal with the officials. This is the reason why the people did not feel satisfied with the working of Corporation in Delhi or elsewhere except in Bombay and Calcutta, because the arrangement before the Corporation was more democratic as the Executive was elected, but later on, when the Executive and Deliberative wings became separate, and the Executive was not elected, the sense of frustration crept into the minds of the people. Even in Bombay, Calcutta and Madras there is a growing feeling that the Executive should be elected, and it should not be surprising when the people have tasted the fruit of democratic functioning in the last sixteen years.

In conclusion, I would urge upon the hon. Home Minister, because Delhi is his direct responsibility and because he wants that some good arrangement should be made for Delhi where there should be no trouble, even at this late hour, to kindly consider this matter in its correct perspective and grant us financial powers. That can even be made at this late stage, so that the Metropolitan Council and the Executive Council can work in cohesion and the people of Delhi can look to the Metropolitan Council for removal of their various difficulties and problems.

श्री नवल प्रभाकर : सभापति महोदय, श्री ब्रह्म प्रकाश ने इस का इतिहास बतलाया और कहा कि दिल्ली के जो सदस्य थे उन्होंने कहीं भी किसी अवस्था में इसे स्वीकार नहीं किया। श्री शिवचरण गुप्त ने इसकी संवैधानिक स्थिति बतलाई । किन्तु मैं एक दूसरा रूप प्रस्तुत करना चाहता हूं । और वह यह कि आज की स्थिति क्या है ?

आज जो लोक सभा के सदस्य बैठे हुए हैं या जो राज्य सभा के सदस्य बैठे हुए हैं उन को पूर्ण अधिकार है कि दिल्ली के बारे में वह यहां पर कोई प्रश्न कर सकें या कोई मसला उठा सकें । मुझे ऐसा लगता है कि यह कार्य मंत्रालय और गृह मंत्री इससे बहुत परेशान हैं । वह समझते हैं कि 500 सदस्य इधर हैं, और 250 उधर हैं, 750 मेम्बरों की परेशानी से बचने के लिये कोई रास्ता निकाला जाये । उन्होंने दिल्ली वालों की परेशानी का कोई रास्ता नहीं निकाला है, उन्होंने अपना बचाव देखा है, और अपना बचाव देखने के लिये जो इस सभा के सदस्यों के अधिकार हैं उनको हटा कर एक एडवाइजरी नेचर की, सलाहकार परिषद् दी जा रही है । आज तो यह है कि अगर दिल्ली में कोई भी परेशानी होती है तो हम यहां पर सरकार को परेशान करते हैं । हम यहां पर उस मसले पर विचार करते हैं, बहस करते हैं, सब कुछ करते हैं । लेकिन कल क्या होगा ?

कल यह होगा कि जिसको मेट्रोपोलिटन कौंसिल कहा जाता है उस को यह मामला सौंप दिया गया है । उसके बारे में कहा जाता है कि वह छः महीनों में एक बार मिल लिया करेगी और उस पर विचार कर लिया करेगी, और विचार कर के सलाह दिया करेगी । अर्थात् वह सलाहकार परिषद् है । भले ही उसकी सलाह मानी जाय या न मानी जाये । मेरा यह कहना है कि गृह-कार्य मंत्री इस सभा की परेशानी से बचने के लिये यह बिल लाये हैं । अपने बचाव के लिये इसे लाये हैं । यह उन के लिये ठीक है, किन्तु उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इसमें दिल्ली का कितना लाभ होगा । आप ने देखा कि जितने भी सदस्य बोले हैं, और उन में मैं श्रीमती सुभद्रा जोशी को भी लेता हूं, उन्होंने कहा है कि इस में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन प्रगति का एक कदम है । परन्तु एक कदम चलने से तो कोई बात बनती नहीं है । दिल्ली वाले तो यह चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस देश के दूसरे नागरिक हैं और जितने अधिकार दूसरे नागरिकों को हैं, दिल्ली वालों के उनसे कम न रहें । आखिर यहां के लोगों ने क्या अपराध किया है । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब हर प्रदेश वाले लोगों के पास अपने हक हैं, अपने अधिकार हैं तो हम लोग उन अधिकारों से वंचित क्यों रहें । आज उनके लिये यह कहा जाता है कि वह सलाह दिया करेंगे जिसका अर्थ यह होता है कि वह शासन न करें ।

मैं इस सन्दर्भ में आप को बतलाऊं कि दिल्ली में 55 सलाहकार समितियां हैं । उन 55 सलाहकार समितियों में यह अवस्था है । उनमें से कई एक में मैं भी सदस्य हूं । जब जब उन सलाहकार समितियों में नुक्ता चीनी की जाती हैं, वह सलाहकार समितियां ठप्प कर दी जाती हैं। मैं आप को एक मिसाल देकर भी बतलाऊंगा कि उन की मीटिंग नहीं बुलाई जातीं । गृह-कार्य मंत्री उसके चेअरमैन हैं । दिल्ली की एक सलाहकार समिति है । उसकी और दिल्ली में जो सलाहकार समितियां बनी हुई हैं उन की मीटिंगें नहीं बुलाई जातीं । इस का लेखा जोखा जब लिया गया तो मालूम हुआ कि मीटिंगें होतीं ही नहीं है । फिर गृह-कार्य मंत्री जी से यह कहना पड़ा कि मीटिंग तो बुलवाइये । मैं आपको बतलाऊं, मैं लोक सभा से चुन कर के दिल्ली मिल्क स्कीम में गया हुआ हूं । वह भी एक सलाहकार समिति है । डेढ़ साल हो गये हैं, अगर उसकी मीटिंग नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई । एक मीटिंग में जरा कुछ ले दे हुई, कुछ सवाल पूछे गये, कुछ जोर दिया गया तो उस के बाद मीटिंग होनी बन्द हो गई । एक दफे उस के फैसले पर नुक्ता चीनी की गई तो उस में से एक अधिकारी ने कहा कि आप का अधिकार नहीं है, और यह टर्म्स ऐंड कन्डिशन्स में नहीं आता है । यह वस्तुस्थिति है ।

अब मैं बतलाना चाहता हूं कि यह सलाहकार समिति किस तरह की बनने जा रही है जिस को मेट्रोपोलिटन कौंसिल कहते हैं । यह इस तरह की होगी जैसी कि आज भी एक कमेटी है जिस को जनसम्पर्क समिति या पब्लिक रिलेशन्स कमेटी कहते हैं । एक नान आफिशियल उसके चेअरमैन हैं । उस में बहुत से सदस्य हैं । अन्तर इतना है कि जो मेट्रोपोलिटन कौंसिल होगी उस के सदस्यों को भत्ता दिया जायेगा, कुछ तनख्वाह दी जायेगी और जिस तरह से आज भी दो ऐडवाइजर वहां पर हैं जिन को हजार हजार रुपया दिया जाता है, उन की संख्या बढ़ा कर चार कर दी जायेगी । अब भी गृह-कार्य मंत्री जी उन को नामिनेट करते हैं और जो आने वाली मेट्रोपोलिटन कौंसिल होगी उस के भी चार सदस्य होंगे जिन को एग्जिक्यूटिव कौंसिलर कहते हैं । उन के लिये गृह-कार्य मंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश देंगे, और राष्ट्रपति के नाम से वह नामिनेट हुआ करेंगे । इस में दिल्ली के लोगों को क्या अधिकार मिल रहे हैं । यह देखने की

[श्री नवल प्रभाकर]

बात है । आज अवस्था यह है कि जो लोग हमारे यहां बैठे हुए हैं वह बोल तो सकते हैं, कह तो सकते हैं कि आज यह हमारे अधिकारों को छीनने की बात हो रही है ।

मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली के पिछले चीफ कमिश्नर जो थे जब वह उप-राज्यपाल होकर हिमाचल जाने लगे तो मैं उन से मिला और कहा कि आप बड़ी जगह पर जा रहे हैं । उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं दिल्ली से जा रहा हूं । उन्होंने कहा कि दिल्ली की अवस्था निराली है । एक जमाना था कि मैं गृह मंत्रालय के अन्दर सचिव था, सेक्रेटरी था और मेरा आदेश सारे मंत्रालय पर चलता था, और आज अवस्था यह है कि गृह-कार्य मंत्रालय का अन्डर सेक्रेटरी मुझे चिट्ठी लिखता है, मुझे आदेश देता है । वही बात इस मेट्रोपोलिटन कौंसिल में होने वाली है । वहां पर गृह-कार्य मंत्री की ओर से नहीं उन के अंडर सेक्रेटरी की ओर से चिट्ठी जाया करेगी चीफ कमिश्नर को, और चीफ कमिश्नर उस को ध्यान में रख कर काम करेंगे । इस मेट्रोपोलिटन कौंसिल में जो चार सदस्य होंगे वह भी नामिनेटेड होंगे । अगर वह ठीक से नहीं चलेंगे तो उन्हें नामिनेट कौन करेगा ? वह वही काम करेंगे जो उन को कहा जायेगा । इसलिये दिल्ली के लोगों की जो वस्तुस्थिति है उस के अनुसार यह मेट्रोपोलिटन कौंसिल काम नहीं करेगी । इस लिये इसको हम सदस्यों को भी देखना चाहिये और देख कर के उस पर विचार करना चाहिये ।

मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों इसी सदन में एक बिल प्रवर समिति से आया था जिस का नाम काशी विश्वविद्यालय बिल था । उस के ऊपर जब सदस्यों की राय जानी गई और यह मालूम हुआ कि सदस्यों की राय उस के विपरीत है तो वह बिल आज तक कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है । मैं एक नेक सलाह देना चाहता हूं । हम दिल्ली के आठ सदस्य हैं । दो तो मंत्री हैं । वह तो सरकार की ही कुर्सी पर बैठे हैं ।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : वह चुन कर के नहीं आये हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : नहीं, चुनकर के तो आप भी आये हैं । लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप तो उसी रूप में बोलेंगे जिस रूप में गृह-कार्य मंत्री बोलेंगे और जिस दिन उस कुर्सी के खिलाफ बोलेंगे तो शायद आप वहां बैठ नहीं सकें । यह एक वस्तुस्थिति है जो हर सदस्य जानता है ।

दिल्ली के लोक सभा के पांच में से तीन सदस्य बोले हैं और तीनों की राय है कि यह बिल दिल्ली के लोगों के लिए उनकी भावनाओं की पूर्ति नहीं करता है । तो कृपा करके जिस तरह से काशी विश्वविद्यालय का बिल वापस ले लिया था इसको भी वापस ले लीजिए, उसी में अच्छा है और वही ठीक है ।

मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि 1962 के अन्दर दिल्ली नगर निगम ने कुछ सुझाव दिये थे कि दिल्ली कारपोरेशन का जो अधिनियम है उस में कुछ अमेंडमेंट होना है और सरकार ने वादा किया कि हां, वह होंगे, लेकिन वह जो मांग थी वह पीछे पड़ गई और मेट्रोपोलिटन कौंसिल आगे आकर खड़ी हो गई । अब भी यह कहा जाता है कि हां, वह ड्राफ्ट हो तो चुका है, लाने वाले हैं । तो मैं आप से कहता हूं कि उसी को पहले ले आइये । उस को हम देख लेंगे और उसकी छाया में फिर हम बाद में इस पर भी विचार कर लेंगे । तो आप इन बातों को देखिये, सोचिए, समझिये और सोच समझ करके उस पर आप विचार कीजिए । मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है किसी भी सूरत में दिल्ली के लोगों की भावनाओं की पूर्ती नहीं करता । आपने देखा होगा कि

प्रवर समिति के अन्दर जो लोग आये और वहां उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये, विटनेस में 15 पार्टीज आयीं और पन्द्रह में से "जहां तक मुझे याद है एक को छोड़कर के और वह भी अकेला एक व्यक्ति था, बाकी किसी ने भी इस बिल का कोई समर्थन नहीं किया। सब ने यह कहा कि यह बिल जो है यह अधूरा है और यह हमारी भावनाओं की पूर्ती नहीं करता है, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करता। इसको वापस ले लीजिए या इसमें कुछ एसी शक्ति डालिए कि उस के कारण इसमें कुछ जान आये।

अन्त में मैं श्रीमन्, यह बताना चाहता हूं कि मैंने प्वाइंट आफ आडर भी रेज किया था और वह मैं फिर दोहराता हूं और यह मैं आपको बिलकुल साफ करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी बात को नहीं माना तो यह आप का जो बिल है, जब यह कानून बनेगा तो यह कोर्ट के अन्दर चेलेंज होगा कि आपने संविधान की अवहेलना की है और संविधान की अवहेलना करके अगर इस बिल को आप लायेंगे कि इंटरिम पीरिअड के अन्दर आप अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं रखेंगे तो यह बिल चलने वाला नहीं है और न चलेगा। यह आप निश्चित रूप से समझ लीजिए। कांस्टीट्यूशन की धारा 332 में बिलकुल यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिएं। एक तरफ आप इसी बिल में मानते हैं कि हरिजनों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहियें लेकिन यह जो इंटरिम पीरिअड है उस में आप अपनी उसी बात से मुकर जाते हैं। तो यह एक संविधान की अवहेलना है और या तो आप उतना पोर्शन निकालिए और नहीं तो कोई न कोई अदालत में जायगा और अनुसूचित जाति के जो भी अधिकार हैं उन अधिकारों को चैलेंज करेगा और वहां आप सफाई नहीं दे सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर आपको सलाह देता हूं कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए और अगर नहीं वापस लेते हैं, आप बजिद हैं तो मैं यही बताता हूं कि यह दिल्ली के लोगों की भावनाओं की पूर्ति नहीं करता है।

Mr. Chairman: Now, Shri Kamath.

I would request hon. Members to be very brief, because there are a large number of Members who want to speak on this Bill.

Shri Hari Vishnu Kamath: You can extend the time for this Bill. You cannot reduce the time for others; the same time as was given to the previous speakers will have to be given to all speakers.

An hon. Member: The Prime Minister had taken about half an hour in between.

Mr. Chairman: 10 minutes is the time allotted to each Member.

Shri Hari Vishnu Kamath: 10 to 15 minutes is the usual time.

Mr. Chairman: Shri Kamath may please try to finish in 10 minutes.

Shri Hari Vishnu Kamath: Mr. Chairman, the Bill before the House is the end-product of the Haphazard agitation carried on by the discontented, if not frustrated, and faction-ridden Congress party politicians of the former Delhi State, Part 'C' State, during the last ten years since the still dissolution of the Part 'C' set-up, and of the confused cogitation among the members of the Union Council of Ministers. That being so, I am not surprised that the product that has resulted from this blend of haphazard agitation and confused cogitation is a strange constitutional animal.

Here I am reminded of what the poet said in Sanskrit:

विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरं

Shri Nambiar: Well said.

Shri Hari Vishnu Kamath: A potter set out to make an image of Vinayaka, Ganesh. He did it so clumsily because of various factors intervening that ultimately he produced a vanara, a monkey. That is what has happened with regard to this Bill for Delhi (*Interruption*).

I wonder in what category I should place the measure that the Government has devised for the Union Territory of

[Shri Hari Vishnu Kamath]

Delhi. Time was when we had diarchy under the British regime after the Montford reforms. This is not even diarchy. Here we have what I may call a triachy, that is, from the Corporation to the Metropolitan Council, then the Executive Council and then our Ministers here, the Home Minister and the entire Council of Ministers. This is nothing less than triarchy for the Union Territory of Delhi.

I have no hesitation in saying that the Government has deliberately devised this measure as a sop to the politicians of Delhi, the Congress politicians, who could not achieve unity among themselves so far as the demand for a Delhi State was concerned, and the Government has succeeded in throwing this sop to the Delhi Congress politicians who are themselves to blame—if anybody were to blame—for this Bill that has been inflicted upon them and on the people of Delhi.

The Bill suffers from or is afflicted by various obnoxious provisions. When an amendment was incorporated in art. 239 of the Constitution by a Bill amending the Constitution that Parliament may by law create the Union Territories of Himachal, Manipur, Tripur, Goa, Daman and Diu and Pondicherry, Delhi was left out of the ambit of this provision. I wish that my hon. friends, representing the Delhi Union Territory, Shri Brahm Prakash and his colleagues had moved an amendment to this. I do not know whether they did so at that time. Perhaps they overlooked it at that time.

Shri Brahm Prakash: We moved it, but it was not accepted.

Shri Hari Vishnu Kamath: Perhaps because there was no pressure behind the amendment to be incorporated in that Bill. If there had been sufficient pressure on Government, they might have incorporated that amendment in the Bill. I believe if they had worked among the Members of Parliament for this, they would have had more success than was actually achieved at that time.

Article 239 as it stands, unfortunately debars the Delhi Union Territory from having some kind of an Assembly and a Council of Ministers as the other Union Territories have. If Delhi had been included in that amendment, the story would have been different today. But even as it is, the Attorney-General also gave evidence before the Joint Committee, and he gave it as his expert opinion that unless the Constitution was amended, even budgetary and financial powers could not be conferred on the Delhi Metropolitan Council that is proposed in this Bill. I do not know, I wish it could be done, managed.

Shri Shiv Charan Gupta: He has given a different opinion at a different place.

Shri Hari Vishnu Kamath: The former Attorney-General or the present?

Shri Shiv Charan Gupta: Mr. Setalvad.

Shri Hari Vishnu Kamath: I too referred to the former Attorney-General, Mr. Setalvad.

Shri Hathi: Does the hon. Member mean to say that the opinion given before the Committee deliberately was not the correct opinion?

Shri Shiv Charan Gupta: That I am not saying. Whenever a particular case is presented in a particular manner, the opinion is sought. That is why I suggested and made out that this point should be now thoroughly gone into, because, while taking recourse to article 239A, the powers of Parliament which are given under Articles 245, 246 etc., are being limited.

Shri Hari Vishnu Kamath: If this be a fact that he has given a different opinion elsewhere, it is a serious reflection upon the integrity of the former Attorney-General. If he has spoken in two different voices on the same matter, it is very unfortunate to say the least, and we would like to have some light thrown upon this by the Minister when he replies to the debate.

May I suggest that the Minister has made matters worse now, bad as it was, he has made it worse, by suggesting a last minute amendment—we have just got a copy—which will be moved later on I know, but that shows the pernicious manner in which the Government's mind is working.

There is a clause which seeks to empower the Government to nominate the

Members of the Metropolitan Council, and there is at least a useful proviso there that they should not be in the service of Government, and I have proposed my own amendment which will be moved at the appropriate stage when the Clauses are taken up. Now Government has proposed this amendment. I do not know whose brain-wave it is.

Shri Hathi: Yours.

Shri Hari Vishnu Kamath: You have made it a Vanara instead of a Vinayaka. They want to delete this proviso also. That means they can nominate even Government servants on the Metropolitan Council, that is what it comes to. If Government wants to press that amendment at the appropriate stage, I would like to suggest that the principle of nomination by the executive to a legislative or a quasi-legislative body is a thoroughly obnoxious principel in a democratic set-up and I would be very happy if that clause, that sub-clause, is completely deleted, which empowers Government to nominate members on the Metropolitan Council and reduces it to zero. If it is not reduced from 5 to zero, at least it should be reduced from 5 to 2, it should be not more than 2. Even then, they should be neither Government servants nor holders of permits or licences granted by the Government. I hope the House, in the interests of the integrity and of democracy will accept that amendment and throw out this wholly pernicious amendment given notices of by the Minister today.

Then there is another provision which makes the proposed Executive Council completely irremovable except at the pleasure or the displeasure of the President, which is absolutely unthinkable in a democratic set-up. I am aware that the Bill does not confer a fullfledged State legislature and a council of ministers on Delhi, but certainly we must ensure that democratic principles are not completely thrown to the winds, set at naught. But that is what the Bill seeks to do, and I have therefore suggested in one of my amendments an alternative. The Bill provides that the members of the Executive Council can sit in the Metropolitan Council, can take part in the proceedings but they have no right to vote. The President himself can be impeached, he is not completely irremovable, the Judges under the Bill that is coming can be brought to book and removed from office by the President, but are these members of the Executive Council higher than the President, higher than the High Court and Supreme Court Judges? Certainly there should be a provision which stipulates, provides, that if a special majority, say two-thirds, of the members of the Metropolitan Council, passes a vote of no confidence, or presents a petition to the President seeking his removal from office, the President should remove that member forthwith from office. I hope the House will accept that very desirable, wholesome and necessary amendment.

One last word and I have done. Much has been said about Delhi being the federal capital. It is difficult to have a full fledged democratic apparatus, paraphernalia for the union territory of Delhi. There have been experiments in various parts of the world. Some federal capitals have a democratic set-up, full fledged; others do not have it. Shri Brahm Prakash pointed out some instances and gave some illustrations of some federal capitals having a democratic set up or quasi democratic set up. I do not know; I have not studied. So I have to rely on the word of Shri Brahm Prakash. But you are well aware that in the district of Columbia—I am quoting at the risk of being dubbed as a sort of emulator of the American pattern; my friend Prof. Mukerjee is sitting next to me. But that is one of the democratic countries in the modern world, the United States, though of course it may not be liked by all of us; the pattern of democracy they have set up is perhaps hated by my friend Prof. Mukerjee; he may refer to the democracy of Moscow rather than the democracy of Washington. I do not know what he thinks, but even so—as I said in the district of Columbia till the last amendment of the Constitution of the United States, the people of Columbia district—Dr. Singhvi may correct me if need be—were not enfranchised at all; they were disenfranchised so far as american presidential elections were concerned. Be that as it may, even if there is no of democratic set up in other federal capitals, certainly Mr. Brahm

[Shri Hari Vishnu Kamath]

Prakash can argue we can argue : let us have a new precedent and make a new start. Certainly. Why not? But the experiment that was tried during 1952-56, when it finally came to an end may I say with all humility and in all earnestness, was not too happy. Delhi as a Part (c) State had a full-fledged democratic apparatus and my hon. friend Shri Brahm Prakash himself was the Chief Minister of Delhi State. We recollect that here, in this very House, endless and unseemly quarrels used to go on in this Parliament, and carried on outside also in the city of Delhi, Delhi State Assembly. Of course it may be argued that such quarrels are a sort of ordinary every day feature of the Congress regime, the tussle between the Centre and the states. But here Delhi being the federal capital, Delhi being one of the international cities of the world, if it becomes the seat of two government authorities, the Central and State Governments, carrying on day to day struggle for power, and what not, it will not be a happy spectacle to watch. Therefore perhaps it was decided by an amendment in 1962 that Delhi should be excluded from the purview of Article 239(a).

One last word and I have done. I will finish in two minutes. If Delhi cannot have a democratic apparatus, certainly we must safeguard the people of Delhi against this dangerous situation resulting and flowing from the undemocratic set-up, and therefore I propose that there should be at the Centre a separate minister for Delhi affairs. And no measure affecting Delhi, no Bill, no resolution or any other measure affecting Delhi, should be introduced in Parliament without the prior approval of an advisory committee—not a consultative committee, but an advisory committee—which will include within its fold all the Members belonging to Delhi Union territory. If that is accepted it will go, I suppose, some way, not all the way, towards making the provisions of the Bill which are otherwise unacceptable, a little less unacceptable.

Therefore, while I give partial support to some of the provisions in the Bill before the House, I hope that the amendments proposed by me will be accepted. Otherwise, it will be wholly unacceptable, and I will not then be able to give even my partial support to the measure.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): सभापति जी, आज लोकतंत्र के लिए बड़े शर्म का दिवस है, क्योंकि लोकतन्त्र की हत्या करने वाला कानून आज इस सभा के सामने मंत्री महोदय लाए हैं। लोकतंत्र की जितनी कसौटियां हैं, उन में से कोई भी कसौटी आप ले लीजिए। आप को मानना पड़ेगा कि यह कानून लोकतंत्र की किसी भी कसौटी पर निखरता नहीं है, पूरा उतरता नहीं है। लोकतंत्र की चार बड़ी बड़ी कसौटियां हैं। एक कसौटी है कानून बनाने के लिए और आमदनी-खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सभा का गठन। हम लोग यहां देख रहे हैं कि दिल्ली के लिए . . .

Mr. Chairman: The hon. Member may continue tomorrow. Now we take up the half-hour discussion.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर): इस बिल के लिए कितना समय और रह गया है ?

श्री हरि विष्णु कामत : इस के लिए समय बढ़ाया जायगा। कम से कम एक घंटा—या दो घंटा—बढ़ाना पड़ेगा।

श्री मौर्य : इस के लिए समय बढ़ाया जायेगा।

*STATUS OF HIGH COURT JUDGES

Dr. L. M. Singhvi: (Jodhpur): I have already intimated that certain developments which are very heartening and gratifying have taken place and that the question of the status and conditions of service of the High Court Judges and the Supreme Court Judges appears to have been reopened. I am informed that the hon. Home Minister is himself holding consultations with the Chief Justice of India with a view to arriving at a mutually agreed basis of revision of these conditions of service, and the question of upgrading the status. At this stage, as I submitted in my letter this afternoon, I would not like to voice

---

*Half-an-hour Disdussion.